उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–6 (5) के अधीन अपेक्षित विवरण

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 6 (5) में निम्नलिखित प्रावधान है :–

''6 (5) जब कभी एक या अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिए व्यय की तत्समय कमी और / राजस्व के संवर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी।''

वित्तीय वर्ष 2013–2014 के बजट अनुमानों में रु0 901.52 करोड़ का राजस्व अधिशेष तथा रु0 3536.74 करोड़ का राजकोषीय घाटा था।

माह सितम्बर, 2013 के प्रथम अनुपूरक का आकार रु0 4815.85 करोड़ है जिसमें रु0 2880.18 करोड़ के व्यय का अनुमान राजस्व पक्ष में तथा रु01935.67 करोड़ के अनुमान पूँजीगत पक्ष में है। इस प्रकार कुल रु0 4815.85 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है जिसकी पूर्ति निम्नवत होना सम्भावित है :–

राज्य के कर राजस्व की मद में वर्ष 2013–2014 के आय–व्ययक अनुसार प्राप्ति अनुमान रु0 7111.42 करोड़ के सापेक्ष माह अगस्त, 2013 तक रु0 3168.32 करोड़ की प्राप्ति हो चुकी है जो कि आय–व्ययक का 44.55 प्रतिशत है। प्राप्ति की इस प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 में लगभग रु0 7311.42 करोड़ की कुल प्राप्ति सम्भावित है। करेत्तर राजस्व की मद में आय–व्ययक अनुमान के सापेक्ष वर्तमान प्रगति के दृष्टिगत लगभग रु0 80 करोड़ की कम प्राप्ति होने का अनुमान है। इस वर्ष राज्य में आई आपदा के परिप्रेक्ष्य में एन0डी0आर0एफ0, विशेष पैकेज तथा विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं अन्तर्गत लगभग रु0 3100 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियां अनुमानित हैं।

वेतन की मद में आय–व्ययक में रु0 7846.99 करोड़ का अनुमान था जिसके सापेक्ष माह अगस्त, 2013 तक रु0 3085.05 करोड़ व्यय हो चुका है, जो कि बजट अनुमान का 39. 41 प्रतिशत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में 6 माह का वेतन दिया जाना बाकी है। वेतन व्यय की इस प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुमान से लगभग 1100 करोड़ की बचत वेतन की मद में होनी सम्भावित है।

इसके अतिरिक्त राज्य योजनान्तर्गत व अन्य मदों में भी व्यय की उक्त प्रवृत्ति के दृष्टिगत पर्याप्त बचतें परिलक्षित हो रही हैं। इस प्रकार व्यय की उक्त प्रवृत्ति के दृष्टिगत पर्याप्त बचतें परिलक्षित हो रही हैं।

उक्त के दृष्टिगत अनुपूरक मांग के कारण बढ़े हुए व्यय को वर्ष में प्राप्त होने वाली अतिरिक्त प्राप्तियों, आयोजनागत व आयोजनेत्तर व्यय में सम्भावित बचतों तथा स्वयं के राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि /अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था कर पूरा किया जायेगा।

(डॉ0 इन्दिरा हृदयेश)
वित्त मंत्री

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 की धारा–6 (5) के अधीन अपेक्षित विवरण